ISSN: 2277-7857

समकालीन हस्तक्षेप

साहित्य, समाज और संस्कृति की पीयर-रिव्यूड त्रैमासिक शोध-पत्रिका

वर्ष: 17, अंक: 2, अक्टूबर-दिसंबर 2023

SJIF 2023 = 7.858

संपादक

डॉ. कपिल कुमार गौतम

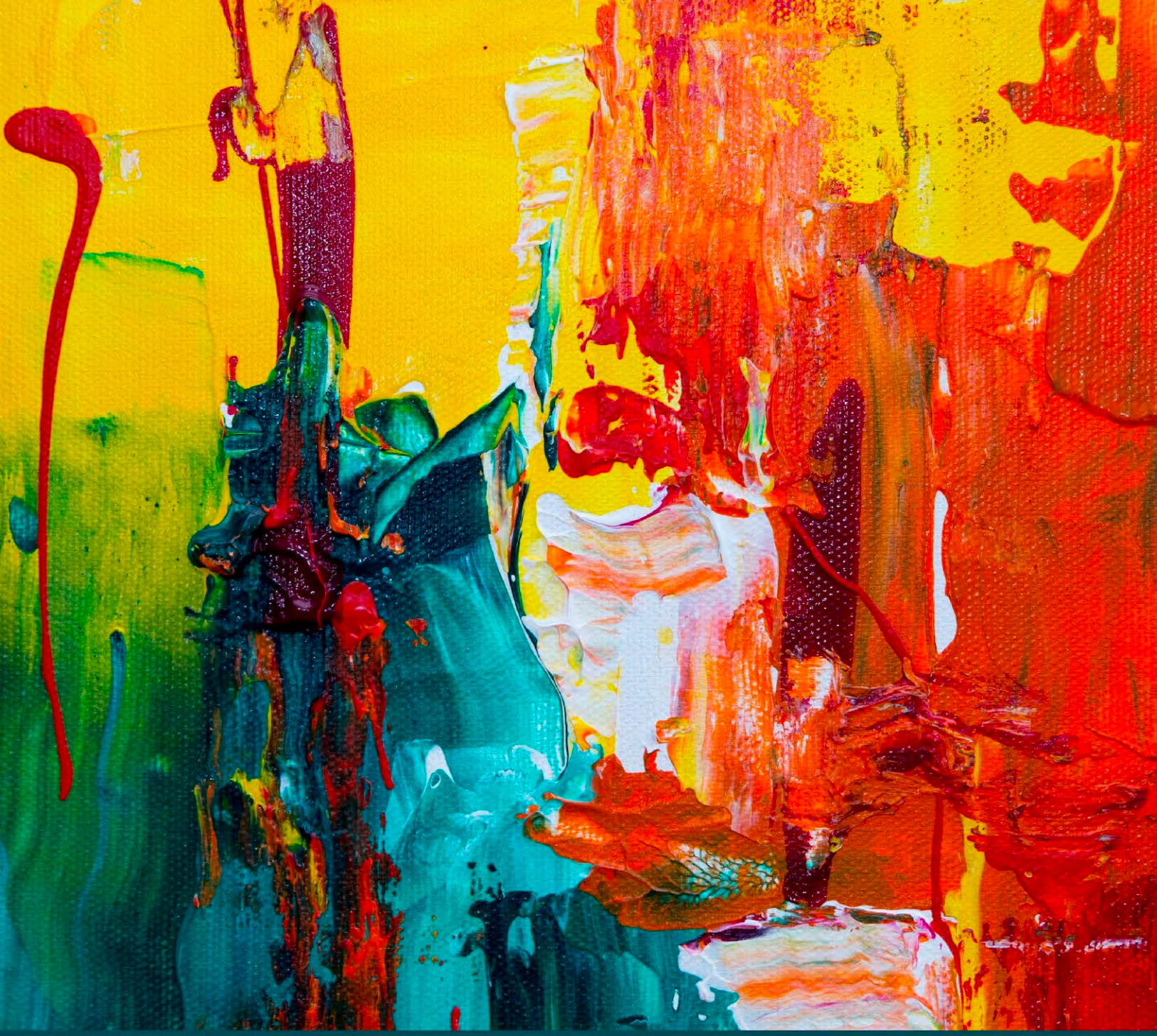

'समकालीन हस्तक्षेप' एक पीयर-रिव्यूड त्रैमासिक शोध-पत्रिका है। इसका ISSN 2277-7857 (प्रिंट) तथा SJIF 2023 = 7.858 है। इस शोध-पत्रिका में प्रकाशन हेतु मुख्य विषय हिंदी साहित्य, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, संस्कृति, कला, समसामयिक मुद्दे आदि हैं। आप अपने अप्रकाशित शोध-पत्र भेजने हेतु कृपया निम्न विवरण पर संपर्क करें।

Website: www.hastakshep.co.in
E-mail: hastakshep@hotmail.com
WhatsApp Us: +91 - 9431109143

वर्ष: 17, अंक: 2, अक्टूबर-दिसंबर 2023

समकालीन हस्तक्षेप

साहित्य, समाज और संस्कृति की पीयर-रिव्यूड त्रैमासिक शोध-पत्रिका

'समकालीन हस्तक्षेप' त्रैमासिक शोध-पत्रिका में प्रकाशित शोध-पत्रों/ लेखों के माध्यम से व्यक्त किये गए विचार और स्थापनाएं लेखक के अपने हैं। उनके विचार और स्थापनाओं से संपादक मंडल अथवा प्रकाशक सहमत हों, यह जरुरी नहीं है। शोध-पत्रों/ लेखों में व्यक्त विचारों और स्थापनाओं के लिए सम्बन्धित लेखक स्वयं जिम्मेदार होंगे। विवाद की स्थिति में सभी मामले केवल भद्रक न्यायालय (उड़ीसा) के अधीन होंगे।

इस शोध-पत्रिका के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं। समीक्षा, लेखों तथा शोध-पत्रों में उद्धरण के अतिरिक्त, प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना इसके किसी भी अंश का अनुवाद, प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग सहित इलेक्ट्रोनिक माध्यम से पुनर्प्रकाशित नहीं किया जा सकता। केवल सम्बंधित शोध-पत्र के लेखक ही अपने शोध-पत्र को अकादमिक तथा व्यक्तिगत उपयोग करने हेतु निर्बाध रूप से स्वतंत्र होंगे।

© समकालीन हस्तक्षेप

वर्ष: 17, अंक: 2, अक्टूबर-दिसंबर 2023

Main[1] & Back[2] Cover Picture Courtesy:
[1]Chandan Verma & [2]Steve Johnson (resp.)

Published by

RESEARCH WALKERS
2nd Floor, Rout Niwas, Kuansh,
Near Town Police Station, Bhadrak,
Odisha, India – 756100

E-mail: hastakshep@hotmail.com
Website: www.hastakshep.co.in
WhatsApp No.: +91 94311 09143

संपादक मंडल

संपादक

डॉ. कपिल कुमार गौतम
असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग,
संघटक राजकीय महाविद्यालय, मीरापुर, बांगर, बिजनौर,
एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश

प्रबंध-संपादक

शेषनाथ वर्णवाल
मैनेजिंग पार्टनर, रिसर्च वॉकर्स,
रॉउत निवास, नियर टाउन पुलिस स्टेशन,
कुआंश, भद्रक, ओडिशा

उप-संपादक

डॉ. अलका धनपत
पूर्व-विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग,
स्कूल ऑफ़ इंडियन स्टडीज़, महात्मा गाँधी इंस्टिट्यूट,
यूनिवर्सिटी ऑफ़ मॉरीशस, मॉरीशस

डॉ. रजनी बाला अनुरागी
एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग,
जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, राजिंदर नगर,
दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

डॉ. मोहन लाल चढ़ार
विभागाध्यक्ष,
प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग,
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय,
अमरकंटक, मध्य प्रदेश

डॉ. दीनानाथ
एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग,
सीएमपी डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश

संपादक मंडल सदस्य

डॉ. प्रदीप कुमार
एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग,
सत्यवती कॉलेज, अशोक विहार
दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

डॉ. प्रवीण कटारिया
असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ, उत्तर प्रदेश

डॉ. विपिन कुमार शर्मा
असिस्टेंट प्रोफेसर,
हिंदी विभाग, बिष्ट राजकीय महाविद्यालय,
श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, लंबगांव,
टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड

डॉ. अनीश कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग,
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर, छत्तीसगढ़

डॉ. रजत शर्मा
असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग,
लक्ष्मीबाई कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली

डॉ. अवधेश कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर (अतिथि), हिंदी विभाग,
डॉक्टर हरिसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय,
सागर, मध्य प्रदेश

डॉ. लेखराम सेलोकर
पी-एच. डी. (बौद्ध अध्ययन)
आनंद बुद्ध विहार, समता नगर,
नागपुर, महाराष्ट्र

डॉ. अमित कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान
शिवाजी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय,
राजा गार्डन, नई दिल्ली

डॉ. संदीप कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ़ लीगल स्टडीज,
मदरहूड विश्वविद्यालय, रूडकी, उत्तराखंड

डॉ. राहुल सिद्धार्थ
असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग,
साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन
विश्वविद्यालय, साँची, मध्य प्रदेश

डॉ. हंसा दीप
लेक्चरार हिंदी, भाषा अध्ययन विभाग,
यूनिवर्सिटी ऑफ़ टोरंटो, किंग्स कॉलेज सर्किल,
टोरंटो, ओंटारियो, कनाडा

डॉ. उमाशंकर कौशिक
असिस्टेंट प्रोफेसर, योग शास्त्र
के.जे. सोमैया इंस्टिट्यूट ऑफ़ धर्मा स्टडीज,
सोमैया विद्या विहार विश्वविद्यालय,
पूर्वी मुंबई, महाराष्ट्र

डॉ. प्रत्युष प्रशांत
पी-एच.डी., सेंटर फॉर वीमेंस स्टडीज,
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली

डॉ. प्रतीक सागर
असिस्टेंट प्रोफेसर, आर्ट एंड डिजाईन विभाग,
शारदा स्कूल ऑफ़ डिजाईन, आर्किटेक्चर एंड
प्लानिंग, शारदा यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नॉएडा

डॉ. सुनीता गुरुङ्ग
अतिथि प्रवक्ता (हिंदी), श्यामलाल कॉलेज,
मुक्त शिक्षा विद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली

डॉ. लोकेश चौधरी
असिस्टेंट प्रोफेसर, योग विज्ञान विभाग,
श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय,
निंबाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, राजस्थान

डॉ. आमिर खान अहमद
सीनियर असिस्टेंट आचार्य,
फैकल्टी ऑफ़ लिबरल आर्ट्स, अपैक्स प्रोफेशनल
यूनिवर्सिटी, पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश

डॉ. विकास कुमार पाठक
शैक्षिक सलाहकार, भारतीय भाषा समिति,
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

अनुक्रम

वर्ष: 17, अंक: 2, अक्टूबर-दिसंबर 2023

सम्पादकीय

1.	तुलसी साहित्य के सामन्त विरोधी मूल्य : एक मूल्यांकन	डॉ. मुकेश कुमार	8-12
2.	संग्रहालय : लोककला और संस्कृति की संरक्षिका	यामिनी	13-19
3.	सुधा ओम ढींगरा के काव्य संग्रह 'सरकती परछाइयाँ' में मानवीय अनुभूतियों का सौंदर्य विधान एवं द्वंद्वात्मक मनोस्थिति	डॉ. योगेन्द्र सिंह, प्रो. नवीन चन्द्र लोहनी	20-26
4.	भीष्म साहनी के नाटक में पूर्ण मानव की खोज	नीलू कुमारी	27-30
5.	वैश्वीकरण के प्रभाव स्वरूप भारत के शैक्षणिक संस्थानों में निर्मित नवाचार की नवीनतम प्रकृति: एक विश्लेषण	जितेन्द्र कुमार गिरि	31-34
6.	प्रसाद के नाटकों में राष्ट्रीय चेतना के स्वर	डॉ. आशीष कुमार तिवारी	35-38
7.	21वीं सदी की कहानियों में कृषक लोक जीवन का चित्रण	स्वामीदीन प्रजापति	39-42
8.	समकालीन हिंदी कविता में वैश्विक परिदृश्य	धनंजय मल्लिक	43-48
9.	भारत में आन्तरिक सुरक्षाः चुनौतियाँ एवं बढ़ती जटिलताएँ	नीरज सिंह, डॉ. योगेंद्र कुमार	49-52
10.	काल के झरोखे से झलकती 'समय संवाद' की सार्थकता	डॉ. रानी रेणु कुमारी	53-55
11.	अवधी लोकगीतों में लोक संस्कृति का स्वरूप	प्रदीप कुमार, जैनेन्द्र कुमार पांडेय	56-60
12.	कमलेश्वर के उपन्यासों में अभिव्यक्त नारी अस्मिता	सुधा कुमारी चन्द्रा	61-64
13.	वृध्द विमर्श के आईने में हिंदी कहानी	डॉ. आज़ाद	65-68
14.	आदिवासी समुदाय की समस्याएँ एवं चुनौतियाँ	डॉ. विमुखभाई यु. पटेल	69-73
15.	गोदना कला के पारंपरिक स्वरुप में निहित प्रतीकोभिव्यक्ति	आकाँक्षा कुमारी	74-78
16.	संस्कृत साहित्य आधुनिक नारी के उत्थान हेतु सहायक - वैदिक काल से आज तक	डॉ. स्वर्णलता तिवारी	79-83
17.	धर्म, धर्मांतरण और सार्वभौम धर्म	ऋतुराज सिंह	84-87
18.	रमेशचन्द्र शाह के उपन्यासों में सामाजिक चिंतन	मन्जू, डॉ. दीपा त्यागी	88-90
19.	हिन्दी कहानी पर वैश्वीकरण का प्रभाव	डॉ. आम्रपाली कुमारी	91-95

सम्पादक की कलम से...

इस वर्ष राजनीतिक गलियारों में जाति जनगणना सर्वाधिक ज्वलंत मुद्दा रहा है। किन्तु ऐसी परिस्थिति क्यों और कैसे बनी कि सामान्य जनगणना के साथ-साथ जाति जनगणना की भी आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। वास्तव में सरकार या नीति निर्माताओं को देश की आबादी और उस आबादी के अनुरूप संसाधनों और योजनाओं के वितरण के लिए जनगणना की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए प्रत्येक दशक में जनगणना की जाती है। वैसे तो भारत में जनगणना का इतिहास काफी पुराना है। सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन के द्वारा सन 1881 में भारत की जनगणना कराई गई थी। लेकिन जब सरकारों के द्वारा सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन सुनिश्चित किया जाने लगा, तब जाति जनगणना जैसे मुद्दे उठने लगे। भारत में पहली बार सन 1931 में 'सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना' की गई थी। जिसके माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक और जातिगत स्थिति का आकलन किया गया था। जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सामाजिक और आर्थिक रूप से किस जाति विशेष के लोग अधिक सम्पन्न और किस जाति विशेष के लोग अधिक विपन्न हैं। उसी आकलन के आधार पर आरक्षण की भूमिका भी तैयार हुई थी। स्वाधीनता के पश्चात भारत में जनगणना के जातिगत आँकड़ों को गोपनीयता के दायरे में रखा गया। किन्तु सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना के आँकड़ों का उपयोग सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु किया जाता है। साथ ही योजनाओं हेतु पात्रों एवं लाभान्वितों को चिन्हित करने के लिए भी इस जनगणना का प्रयोग किया जाता है।

जातिगत जनगणना के आँकड़ों से विभाजनकारी दृष्टि विकसित होती है, ऐसा मानते हुए, भारत की जनगणना में जातिगत आँकड़ों का संकलन 1951 से बंद किया गया। किन्तु भारत में हाशिये के समाज का उचित अवलोकन करने के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आँकड़े जनगणना में शामिल किए जाते रहे हैं। अब ज्वलंत मुद्दा अन्य पिछड़ा वर्ग समूह में आने वाली जातियों की जनगणना पर केन्द्रित है। किन्तु इसके विपक्ष में आलोचकों का मत है कि जाति-जनगणना से देश में सामाजिक विभाजन एवं पृथकता स्थापित करने की संभावना बढ़ेगी। जबकि वास्तविकता यह है कि भारत के बहुत बड़े भूभाग पर आज भी जाति आधारित भेदभाव किया जाता है। स्वाधीनता के इतने वर्षों बाद भी सामाजिक स्तर पर यदि जातिगत भेदभाव कायम है, तो फिर इस पर पुनर्विचार किया जाना अपेक्षित है।

सन 1980 में बीपी मण्डल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी गई थी। आयोग की इस रिपोर्ट के आरंभ में लिखा था कि 'समानता केवल बराबर लोगों के बीच होती है। असमानता को बराबर करना असमानता को कायम रखना है।' साधारण अर्थों में कह सकते हैं कि जब समानता की बात होगी तो उसके लिए लोगों की संख्या का ध्यान रखना आवश्यक होगा। मण्डल आयोग के अनुसार पूरे भारत में करीब 52% पिछड़ा वर्ग निवास करता है। इसी क्रम में बिहार, कर्नाटक, राजस्थान और झारखंड इत्यादि राज्य सरकारें, जाति सर्वेक्षण करने के पक्ष में दिखाई दे रही हैं। जिसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार के विरोध के बावजूद बिहार और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने जाति सर्वेक्षण करा लिया है। हालाँकि अभी तक बिहार राज्य सरकार ने ही आँकड़ों को सार्वजनिक किया है, जबकि कर्नाटक के आँकड़े आने बाकी हैं। बिहार में आनन-फानन में हुई इस गणना के आँकड़े चौकाने वाले हैं। करीब 13 करोड़ आबादी वाले बिहार राज्य के जाति सर्वेक्षण में 36.01% अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 27.12% अन्य पिछड़ा वर्ग, 19.65% अनुसूचित जाति, 1.68 अनुसूचित जनजाति की हिस्सेदारी बताई गई है। अगर इन आँकड़ों को सही माना जाए, तो भारत में आरक्षण की व्यवस्था को पुनरावलोकित किए जाने की आवश्यकता है।